राजीव चौधरी

बनाम

दिल्ली राज्य (एन. सी. टी)

4 मई, 2001

[एम. बी. शाह और एस. एन. वरियावा, न्यायाधिपतिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 167 (2) परंतुक (ए) (1) अभिव्यक्ति की प्रयोज्यता "कम से कम दस साल की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध" - का अर्थ - अभिनिर्धारित, भादंसं की धारा 386 पर लागू नहीं होता है जो सजा निर्धारित करता है, दस वर्ष तक बढाया जा सकता है।

दंड संहिता, 1860 - धारा 386

शब्द और वाक्यांश

"दस से कम की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध" - आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 (2) के परंतुक (ए) (1) के संदर्भ में, का अर्थ

"कारावास जो दस साल तक बढ़ सकता है" - दंड संहिता, 1860 की धारा 386 के संदर्भ में, का अर्थ।

अपीलार्थी, को भादंसं की धारा 386, 506 और 120-बी के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में गिरफतार किया गया, को मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा धारा 167 (2) के तहत इस आधार पर जमानत पर रिहा किया गया था कि 60 दिनों के भीतर आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने पर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जमानत आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भादंसं की धारा 386 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए सजा की अविध 10 साल तक बढ़ सकती है और इसलिए 90 दिनों की अविध तक निरोध प्रदान करने वाली संहिता की धारा 167 (2) के परंतुक (ए) का खंड (i) लागू होगा। हालांकि, चुनौती पर उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपील के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को निरस्त कर दिया। इसलिये यह अपीले है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया :

1.1- भादंसं की धारा 386 के अंतर्गत कारावास न्यूनतम से अधिकतम 10 वर्ष तक हो सकता है और इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि निर्धारित कारावास 10 वर्षसे कम नहीं है। इस प्रकार, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) का परंतुक (ए) (आई), भादंसं की धारा 386 के अंतर्गत अपराधों पर लागू नहीं होगा। (511-डी-एफ)

1.2.धारा 167 (2) परंतुक (ए) (1) के अंतर्गत 10 साल से कम अविध के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित जांच लंबित है, मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को 90 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रखने का आदेश देने का अधिकार है। बाकी अपराधों के लिये 60 दिन की अविध निर्धारित है। अभिव्यक्ति "से कम" का अर्थ यह होगा कि कारावास 10 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए और इसमें केवल वे अपराध शामिल होंगे जिनके लिये सजा 10 साल या उससे अधिक की स्पष्ट अविध के लिये कारावास हो सकती है। धारा 386 के तहत सजा का प्रावधान है जिसमें 10 साल तक की केंद्र और जुर्माना भी शामिल है। इसका मतलब है कि कारावास स्पष्ट रूप से 10 वर्ष या उससे कम अविध के लिये हो सकता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि न्यूनतम सजा 10 वर्ष या उससे अधिक होगी। (509-एच: 510-ए-सी)

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील सं. 606/2001

(आपराधिक (एम) संख्या 2532/1999 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 26.5.2000 से)

डॉ. कृष्ण सिंह चौहान (ए. सी.), अपीलार्थी के लिये ।

कैलाश वासुदेव, के. सी. कौशिक, डी. एस. मेहरा के लिये, प्रतिवादीगण के लिये।

न्यायालय का आदेश शाह, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया ।

अनुमति दी गई।

इस अपील में शामिल संक्षिप्त प्रश्न अभिव्यक्ति की व्याख्या और निर्माण के संबंध में है "दस साल से कम की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध", आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के परंतुक (ए) के तहत होने वाले अपराध के लिये "कारावास जो दस साल तक बढ़ सकता है" और आईपीसी की धारा 386 में आने वाले अपराध की सजा दस साल तक बढ़ाई जा सकती है।

अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 386, 506 और 120- बी के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में गिरफतार किया गया था। उसे दिनांक 31/10/1998 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के समक्ष पेश किया गया था और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 2/12/1999 के आदेश द्वारा जमानत पर इस आधार पर रिहा कर दिया गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 (2) के तहत 60 दिनो के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। उस आदेश को आपराधिक निगरानी याचिका संख्या 22/1999 प्रस्तुत करते हुये सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली के समक्ष

च्नौती दी गई थी। निर्णय और आदेशदिनांक 18/8/1999 द्वारा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली ने उक्त पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार कर लिया। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि आई. पी. सी. की धारा 386 के तहत अपराध के लिए कठोर कारावास की सजा 10 साल तक हो सकती है। इसलिये धारा 167 (2) के परंत्क (ए) का खंड (1) लागू होगा। इसलिए, उसने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया। अभियुक्त द्वारा उस आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष च्नौती दी गई। उच्च न्यायालय ने अपने पहले के फैसलों का उल्लेख किया और माना कि धारा 167 के प्रावधान के खंड (i) में "कम से कम 10 साल की कैद से दंडनीय अपराध" का अर्थ एक निर्दिष्ट अवधि के लिये कारावास, जो 10 साल से कम नहीं होगा या दूसरे शब्दो में कम से कम 10 वर्ष होगी, से दंडनीय अपराध होगा। शब्द "से कम नहीं" समयाविध को संत्ष्ट करता है। ये शब्द दस वर्ष की अवधि पर जोर देते है और अवधि स्पष्ट रूप से दस वर्ष होनी चाहिये। आगे यह माना गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उपधारा 2 के परंत्क (ए) के खंड (i) को स्पष्ट रूप से पढने पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपराध जो मृत्युदंड से दंडनीय है, आजीवन कारावास या दस साल या उससे अधिक की अवधि, खंड (i) के अंतर्गत आयेगा और जो अपराध दस साल से कम कारावास से दंडनीय है वे खंड (i i) के अंतर्गत आयेंगे। इसलिये, उच्च न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश

के द्वारा पारित आदेश द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया। उस आदेश को इस अपील में चुनौती दी गई है।

धारा 167 एक प्रावधान है जो मजिस्ट्रेट को किसी आरोपी को हिरासत में रखने की अनमुति देने और अधिकतम अवधि निर्धारित करने का अधिकार देताहै जिसकेलिये जांच लंबित रहने तक ऐसी हिरासत का आदेश दिया जा सकता है। हम धारा 167 (2) के परंतुक (ए) की व्याख्या से संबंधित है, जो इस प्रकार है:

"167. प्रक्रिया जब जांच चौबीस घंटे में पूरी नहीं की जा सकती है। - (2)

बशर्ते कि

- (क) मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस की अभिरक्षा के अलावा पंद्रह दिनों की अविध के बाद हिरासत में रखने के लिए अधिकृत कर सकता है, यिद वह संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट इस मद के तहत हिरासत में आरोपी व्यक्ति को कुल मिलाकर हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा,
- (i) नब्बे दिन, जहाँ जाँच मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दस साल से कम की अविध के लिए कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है;"

(i i) 39

आगे, आई. पी. सी. की धारा 386 निम्नानुसार प्रदान करती हैः

"386. किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट के डर में डाल कर जबरन वस्ली। जो कोई भी किसी व्यक्ति को मृत्यु या उस व्यक्ति या किसी अन्य को गंभीर चोट पहुँचाने के डर से जबरन वस्ली करता है, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस साल तक हो सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। (जोर दिया गया)"

उपरोक्त धाराओं के प्रासंगिक भाग से, यह स्पष्ट है कि "कम से कम 10 वर्ष" की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित जांच लंबित होने पर, मजिस्ट्रेट को 90 दिन से अधिक के लिए हिरासत में आरोपी को हिरासत में रखने का अधिकार है, बाकी अपराधों के लिए, निर्धारित अवधि 60 है। इसलिये ऐसे मामलों में, जहां अपराध 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, आरोपी को 90 की अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है, इस संदर्भ में, अभिव्यक्ति "से कम नहीं" का मतलब 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास होना चाहिए और केवल उन अपराधों को शामिल करेगा जिनके लिए सजा स्पष्ट रूप से 10 साल की अवधि या इससे अधिक अवधि के कारावास की होगी। धारा 386 भादंसं में निर्धारित किया गया दंड 10 साल के कारावास तक बढाया जा सकता है और अर्थदंड भी। इसका अर्थ है कि सजा स्पष्ट तौर पर 10 साल की अवधि के लिये होगी या इससे कम। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता

कि न्यूनतम सजा 10 वर्ष या उससे अधिक होगी। इसके अलावा, संदर्भ में भी अगर हम धारा 167 (2) के परंतुक (ए) के खंड (1) पर विचार करते है तो यह उस मामले में लागू होगा जहां जांच एक दंडनीय अपराध (1) मत्यु दंड के साथ (2) आजीवन कारावास; और (3) 10 वर्ष से कम की सजा नहीं, से संबंधित है। इसमें वह अपराध शामिल नहीं होगा जिसके लिये 10 वर्ष से कम कारावास की सजा हो सकती है। भादंसं की धारा 386 के तहत कारावास न्यूनतम से अधिकतम 10 वर्ष तक हो सकताहै और यह नहीं कहा जा सकता कि निर्धारित कारावास 10 वर्ष से कम नहीं है।

परिणामस्वरूप, अपील की जाती है।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।